न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 39/2021

अपीलांट –	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
गंगाराम पुत्र खीयाराम उर्फ खेमाराम जाति प्रजापत निवासी रोमोणी सारणों की ढाणी, सरली तहसील व जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार बाड़मेर 2. जोधाराम पुत्र खीयाराम 3. गुमनाराम पुत्र खीयाराम 4. बालाराम पुत्र खीयाराम 5. भंवराराम पुत्र खीयाराम जाति प्रजापत निवासी रोमोणी सारणों की ढाणी, सरली तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 03 दिनांक 03.06.1992 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेम प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुनील के मेराजा, रेस्पोडेंट सं. 2व3 के की ओर से अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 4व5 नोटिस तामील बावजूद अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 20.11.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम बाकासर, तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 03 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 03.06.1992 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा बाकासर के खसरा संख्या 974/854 कुल रकबा 66–16 [illegible] धुड़ा, खरता पि0 खींया, भारू, मुकना, पदमा पि0 [illegible] खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट के पिता [illegible]राम का देहान्त हो[illegible]पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 03 दिनांक 03.06.1992 तहसीलदार बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:44:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

द्वारा पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 11.10.2021 को यह अपील न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील में मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से निवेदन किया हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 2से5 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि पैतृक व पुश्तैनी व संयुक्त खातेदारी भूमि वर्तमान में मौजा रोमाणी सारणों की ढाणी में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट व उतरदाता संख्या 2से5 के पिता खीया के फौतगी बाबत हल्का पटवारी सरली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 03 की कार्यवाही प्रारम्भ कर कॉलम संख्या 9 मे मृतक खीया के वारीशान जोधा, गुमना, बाला, भंवरा के नाम दर्ज किये गये तथा नामान्तरकरण की जांच करवाने हेतु भू–अभिलेख द्वारा निरीक्षण में अंकन सही होना मानते हुए नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया, जो सरासर गलत व विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य हैं।

5. अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रकट किया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति होने से जानकारी नहीं हो सकी। उक्त नामान्तरकरण संख्या 03 का ज्ञान अपीलांट को तकरीबन कुछ अरसा पूर्व हुआ जब अपीलांट ने हल्का पटवारी से [illegible] अनुदान व बीज की राशि के बारे में पूछताछ की तो हल्का पटवारी ने [illegible] कर अपीलांट का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी दी। जिस पर अपीलांट ने उक्त नामान्तकरण की नकले मांगी जो नकल दिनांक 08.10.2021 को प्राप्त हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:44:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 03 दिनांक 03.06.1992 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा बाकासर के खसरा संख्या 974/854 कुल रकबा 66–16 बीघा भूमि धुडा, खरता पि0 खींया, भारू, मुकना, पदमा पि0 धर्मा कौम कुम्हार सा0 देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट के पिता खींयाराम का देहान्त हो जाने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 03 दिनांक 03.06.1992 तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 11.10.2021 को यह अपील न्यायालय समक्ष प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 02 से 05 एक ही परिवार के सदस्य है इनके पिता खींया के फौतगी के बाद पक्षकारान समान रूप से विधिक वारिशान थे। हल्का पटवारी ने उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही मात्र उतरदातागण के पक्ष में की गई। उक्त फौतगी का नामान्तरकरण [illegible] पुत्री [illegible] स्वीकृत किया जाना था परन्तु वादग्रस्त भूमि के [illegible] खींया के चारों पुत्रों के नाम स्वीकृत किया गया है। [illegible] संख्या 1 ने अपीलांट के पूर्वज खींया के फौत होने पर उक्त नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व न तो खींया

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:44:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

के वारिसों की कोई जांच की और न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया न ही वादग्रस्त भूमि का मौके का निरीक्षण किया। इस प्रकार प्राकृतिक सिद्धान्तो की अवहेलना कर उतरदाता संख्या 1 द्वारा एकतरफा नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से निरस्त करने के काबिज है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहे हैं तथा अपीलांट के अभिकथनों का कोई प्रतिरक्षण नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा इस तथ्य की पूर्ण जांच किये बिना ही नामान्तरकरण सं. 3 पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.1992 विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा बाकासर के नामान्तरकरण सं. 03 पर पारित आदेश दिनांक 03.06.1992 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि मृतक खातेदार खींयाराम के विधिक वारीसान की जांच एवं उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:44:38 IST
Reason: SelfAttested